न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 115/2019 दायरा दिनांक : 25.11.2019

उनवान

गिरिराज कंवर राठोर पत्नी स्वर्गीय अवधेश कुमार जेमिनी निवासी 724 छीपा मोहल्ला खानपुर जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1 सूरज बाई पत्नी स्वर्गीय ब्रहादत आयु 62 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी छीपा मोहल्ला तहसील खानपुर जिला झालावाड़

2 अंशुमान पुत्र ब्रहदत जाति ब्राहमण निवासी आदर्श कॉलोनी तहसील खानपुर जिला झालावाड़

3 शाखा प्रबन्धक एक्सीस बैंक शाखा झालावाड़ हाल खानपुर जिला झालावाड़

4 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल, श्री सोरभ सुमन, सत्यनारायण सुमन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)

निर्णय दिनांक : 26.10.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी खानपुर के प्रकरण संख्या – 934/दावा/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट कम 1/वादिनी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी ग्राम गोलाना की 20 बीघा 7 बिस्वा एवं ग्राम चॉदखेडी की 5 बीघा 4 बिस्वा आराजी के बाबत घोषणा बाबत एक वाद अंशूमान सिंह को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी वादिनी एवं उसके पुत्र अंशूमान व दूसरे पुत्र अवधेश कुमार की सहखातेदारी में दर्ज है, अवधेश कुमार ला औलाद फोत हो चुका है जिसकी वादिनी ही एक मात्र उत्तराधिकारी है एवं अन्य तथ्य अंकित करते हुए निवेदन किया कि मृतक अवधेश कुमार के सम्पूर्ण हिस्से पर वादिनी को खातेदार घोषित किया जावे वादिनी सूरज बाई एवं रेस्पोडेन्ट अंशूमान ने राजस्व लोक अदालत में राजीनामा पेश किया और इस आधार पर अवधेश कुमार के हिस्से की आराजी का वादी सूरज बाई रेस्पोडेन्ट कम 1 को खातेदार घोषित कर दिया एवं डिक्री जारी कर दी, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। राजस्व रिकार्ड ज़मावन्दी से यह पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी ग्राम चॉदखेडी में 1/3 हिस्से का अपीलान्ट का पति भी सह खातेदार दर्ज था एवं ग्राम गोलाना की आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, परन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 वादिनी ने अपीलान्ट के पति अवधेश कुमार को ला औलाद बतलाते हुए एवं उसकी पत्नी होने के तथ्य को छुपाते हुए, झूठे तथ्य अंकित करते हुए, अपने अन्य पुत्र अंशुमान से मिली भगत कर अधीनस्थ न्यायालय में

(महेन्द्र लोढ़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं
अति. उपखण्ड अधिकारी
कोटा (राज.)

राजीनामे के आधार पर डिक्री प्राप्त कर ली जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी पत्नी/पुत्र/पुत्री को उत्तराधिकार में वादग्रस्त आराजी प्राप्त होगी पुत्र और पुत्री के नहीं होने की स्थिति में पत्नी को उक्त आराजी प्राप्त होगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हिन्दू उत्तराधिकार नियमों के पूर्णतः विपरीत है, जो अवैधानिक है। अपीलान्ट गिर्राज कंवर विवादित आराजी के खातेदार अवधेश पुत्र ब्रहदत्त की पत्नी है, अवधेश कुमार की मृत्यु दिनांक 22.07.2019 को हो चुकी है। कानूनन अपीलान्ट मृतक अवधेश कुमार सहखातेदार की पत्नी होने से दावे में आवश्यक पक्षकार था पक्षकार बनाये बिना अपीलान्ट को उसके हक व अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, पक्षकार नहीं बनने के कारण अपीलान्ट अपनी जवाबदेही, काउण्टर क्लेम बगैरह से वचिंत रह गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलान्ट मृतक अवधेश कुमार सह खातेदार की पत्नी होने के कारण उसका विवादित आराजी में अवधेश कुमार के हिस्से पर हक व अधिकार होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय ओर डिक्री से प्रभावित होने से प्रभावित पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा दिनांक 30.10.2019 के आधार पर वाद डिक्री किया, परन्तु उक्त राजीनामे के आधार पर किसी भी कानून के तहत विवादित आराजी में सहखातेदार मृतक अवधेश कुमार के हिस्से की आराजी से अपीलान्ट के हक व अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2019 अपास्त की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दावा पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाकर

(अरविन्द लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2019 को पारित कर दी । ब्रहमदत्त के दो पुत्र अवधेश व अंशुमान एवं पत्नी सूरजबाई है । सूरजबाई ने अधीनस्थ न्यायालय में डिक्लरेशन का दावा पेश किया । अवधेश की मृत्यु हो चुकी है, अंशुमान ज़ीवित है । विवादित आराज़ी दो गांवों की है । सूरजबाई ने अंशुमान के खिलाफ दावा किया । अधीनस्थ न्यायालय ने पाया कि गिरिराज कंवर विधवा मृतक अवधेश कुमार की पत्नी है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया । जमाबंदी सम्वत 2073–2076 नामान्तरकरण संख्या 759 दिनांक 13.11.2019 न्यायालय आदेश में 1/3, 1/3, 1/3 प्रक्रियाधीन है । जमाबंदी सम्वत 2074–2077 में अवधेश का 1/2, अंशुमान का 1/2 हिस्सा है । दावे में गिरिराज कंवर जिन्दा है जो अधवेश की पत्नी है । दावे में अवधेश को ला औलाद बताया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की पालना नहीं की गई है । यदि गलत तथ्य बताये गये हैं तो मुकद्मा किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है । हम हमारे हिस्से पर काबिज काश्त है जिस पर हमारा कानूनन उत्तराधिकार है । वादग्रस्त आराजी में हमारा हित है एवं अपील करने का अधिकार है । हमने तो ड्राईविंग लाईसेंस व आधार कार्ड पेश किया है उसको कन्सीडर कर अपील स्वीकार करें व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर रिमाण्ड करे कि हमें पक्षकार बनाकर पुनः निर्णय पारित करें । अपने पक्ष के समर्थन में The hindu succession Act 1956 पेज 643, ए आई आर 1994 पेज़ 853, आर आर डी 1992 पेज 124, आर आर डी 2004 पेज 607, आर बी जे (4) 1997 पेज 178, आर बी जे (5) 1998 पेज 487, आर बी जे (5) 1998 पेज 43, आर आर डी 2008 पेज 474, आर बी जे 2011 पेज़ 225 पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि मृतक अवधेश कुमार ने अपना हक सूरजबाई के पक्ष में कर दिया था इसलिए हमने पक्षकार नहीं बनाया । दूसरा भाई अंशूमान उसके द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर डिक्री किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी अंशुमान व अवधेश पिता ब्रहमदत्त, सूरजबाई पत्नी स्वर्गीय ब्रहमदत्त के नाम थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे एवं हक त्याग के आधार पर विवादित आराजी में से मृतक अवधेश कुमार का सम्पूर्ण हिस्सा वादिनी सूरजबाई के खाते दर्ज किये जाने की घोषणा की है जबकि मृतक अवधेश कुमार की पत्नी गिरिराज कंवर जीवित है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 8 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी और पुत्र बराबर के हिस्सेदार होते हैं । इस सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा आर आर डी 1992 पेज 124, आर बी जे (4) 1997 पेज 178, आर बी जे (5) 1998 पेज 487 की नजीरें प्रस्तुत की जो यहां चस्पा होती हैं । अतः अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2019 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक अवधेश कुमार की पत्नी गिरिराज कंवर तथा अन्य पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.12.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा